



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2009-10 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से अनाज भण्डारण कोठी  
(ग्रेनबिन), बिस्तर पेटी के प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर  
डाक्युमेंट (आरसीओ)

आफर पत्र क्र. मुख्या/मार्के/2009/

दिनांक

मेसर्स ..... से आर.सी.ओ. के मूल्य हेतु  
राशि रूपये ..... शब्दों में ..... मनी रसीद क्रमांक ..... दिनांक .....  
से प्राप्त किये गये ।

ऑफर पत्र प्राप्त करने की निर्धारित  
समय सीमा

दिनांक 27.05.2009  
अपरान्ह 1.00 बजे तक

पूर्ण ऑफर पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत  
करने की निर्धारित समय सीमा

दिनांक 27.05.2009  
अपरान्ह 3.00 बजे तक

आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आफर खोलने  
की तिथि

दि. 27.05.2009  
सायं 4.00 बजे

**मैनेजर (मार्केटिंग)**  
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग  
विकास निगम भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2009-10 एवं आगे के लिए निगम के माध्यम से **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन),  
बिस्तर पेटी** के प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रैक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

निगम द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी** के प्रदाय हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है । ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. **आफर प्रस्तुत करने की अहर्ता**

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो :-

1 (अ) **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी**, के निर्माता जो जिला उद्योग कार्यालय में विधिवत पंजीकृत हों ।

अथवा

2 (ब) उक्त (अ) अनुसार अहर्ता की पूर्ति करने वाले **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी** निर्माता द्वारा नियुक्त वितरक जिनके पास निर्माता कम्पनी द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र हो । **(अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा)**

2. **ऑफर पत्र का क्रय**

2(अ) निर्धारित आफर पत्र की कीमत रु. 300.00 (वापसी योग्य नहीं) एवं डाक से मंगाये जाने पर 350.00 रुपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

2(ब) निर्धारित आफर पत्र उक्त कार्यालय के मैनेजर (मार्केटिंग) कक्ष से दिनांक **27.05.2009** अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है ।

2(स) आफर में भाग लेने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आफर पत्र क्रय किया जाना अनिवार्य है । विधिवत रूप से क्रय न करने एवं ऑफर समय पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आफर पर विचार नहीं किया जावेगा ।

### 3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त

- 3(अ) ऑफरकर्ता द्वारा अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी, की दर परिशिष्ट क्रमांक 4 अनुसार दिया जाना आवश्यक है ।
- 3(ब) ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु दी जावेगी । दरों पर देय टेक्स के संबंध में विवरण परिशिष्ट क्रमांक 4 (अ) अनुसार दिया जाना आवश्यक है ।
- 3(स) ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की शर्त क्रमांक 17 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है ।
- 3(द) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2010 एवं आगे के लिए निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक लागू रहेगी ।
- 3(ड) ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है । किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गयी दर को अंतिम मान्य किया जावेगा ।

### 4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 4(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । एक ही आफरकर्ता द्वारा एक से अधिक फर्मों की ओर से एक ही अथवा अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी ऑफर अमान्य किये जायेंगे ।
- 4(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।
- 4(स) वित्तीय ऑफर का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट क्रमांक 4 के अनुसार होना आवश्यक है एवं तथा परिशिष्ट क्रमांक 2 में उल्लेखित दस्तावेजों तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्युमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार अनुसार सभी वांछित जानकारीयां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
- 4(द) ऑफर फार्म सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । ऑफर से साथ धरोहर राशि के रूप में राशि रूपये 10,000/- (मात्र दस हजार रूपये केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के नाम से देय हो संलग्न होना आवश्यक है । धरोहर राशि के अभाव में ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

4(इ) ऑफर फार्म सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ लिफाफे में बंद कर निर्धारित ऑफर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना है । लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी हेतु आफर** साफ साफ लिखा जावे । लिफाफे निर्धारित आफर बाक्स में नियत तिथि **27.05.2009** के अपरान्ह 3.00 बजे के पूर्व निगम के मार्केटिंग कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

4(उ) निर्धारित दिनांक के पश्चात आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (ओपन एंडेड)

यह रेट कॉन्ट्रैक्ट ओपन एंडेड है तथा निर्धारित दिनांक के पश्चात भी आफरकर्ता अपनी दरें समय सीमा 27.5.2009 के पश्चात भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिये ऑफरकर्ता को निम्न कार्यवाहियां करना होगी :-

- i. निगम के प्रबंध संचालक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें आफरकर्ता को उपरोक्त क 1 में उल्लेखित अहर्ता तथा परिशिष्ट क्रमांक 2 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रस्तुत करने होंगे ।
- ii. आवेदन के साथ आरसीओ डाक्यूमेंट का मूल्य रू 300.00 देय होगा । इसके अतिरिक्त रू 5,000.00 (रू पांच हजार मात्र) विशेष पंजीयन शुल्क (धरोहर राशि के अतिरिक्त) निगम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट से देय होगा यह राशि किसी भी रूप में वापसी योग्य नहीं होगी ।
- iii. प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण करा कर आफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में प्रबंध संचालक अंतिम निर्णय लेंगे, अस्वीकृति की दशा में उसके कारणों को संबंधित आफरकर्ता को बताया जाना आवश्यक नहीं होगा । विशेष पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत अनुमोदित आफरकर्ता शर्त क्रमांक 8 के अनुसार निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करेंगे । आफर सामान्य प्रक्रिया में लाते हुये इसे आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तों को ऑफरकर्ता को मान्य करना होगा तथा संलग्न प्रारूप में अनुबंध करना होगा ।

5. आफर का खोला जाना

5.अ आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित आफर बाक्स में दिनांक **27.05.2009** अपरान्ह 3.00 बजे तक जो आफर प्राप्त होंगे, को दिनांक **27.05.2009** को सांय 4.00 बजे निगम के अधिकारियों की समिति द्वारा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे । यदि किसी कारणवश लिफाफा खोलने की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित तिथि व समय की सूचना निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

## 6. सशर्त आफर

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी । सशर्त ऑफरो को अमान्य किया जावेगा ।

## 7. धरोहर राशि

- 7 (अ) आफरकर्ता को आफर के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । धरोहर राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा । । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में समान सामग्री के प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत धरोहर राशि जमा कराई गई है एवं वर्तमान में उनकी उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है को प्रथक से धरोहर राशि जमा करना आवश्यक नहीं है ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा धरोहर राशि का विवरण यथा मनीरसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे) । धरोहर राशि के अभाव में ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।
- 7 (ब) ऑफरकर्ता द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की गयी राशि रुपये 10,000/- ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् अमानत राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।
- 7 (स) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होने की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।
- 7 (द) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में ।
  2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में ।
  3. निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाना ।
  4. प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में ।
  5. प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

8. अनुबंध का निष्पादन

- (अ) निगम द्वारा योग्य पाये गये ऑफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 5) अनुसार राशि रूपये 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
- (ब) निगम द्वारा जिन ऑफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा धरोहर धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।
- (स) अनुबंध 31 मार्च 2010 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक वैध रहेगा ।

9. तकनीकी मापदण्ड :

अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन) तथा बिस्तर पेटी हेतु निर्धारित तकनीकी मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट क्रमांक 3 में उल्लेखित है । अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन) तथा बिस्तर पेटी उल्लेखित मापदण्ड अनुसार होना आवश्यक है । परिशिष्ट के उल्लेखानुसार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य मापदण्ड के अनुसार सामग्री के ऑफर दिये जाने की दशा में ऑफर अमान्य किया जावेगा ।

10. सैंपल प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण की प्रक्रिया :

- 10(अ) आफरकर्ता द्वारा जिन आयटमों की दरें आफर की जायेगी, से संबंधित सामग्री के एक-एक सेम्पल निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । जमा किये गये सेम्पल वापस नहीं किये जायेंगे ।
- 10(ब) निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाट के नियमानुसार सेम्पल प्राप्त कर किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में सेम्पलों की जांच करवा सकता है । सेम्पलों की जांच का खर्च आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 10(स) निगम को यह अधिकार होगा कि के सामग्री के निर्माण आदि के कार्य के संबंध में निरीक्षण कर सकता है ।

10(द) सामग्री के निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बाबजूद भी निम्न स्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार रहेगा :-

1. निर्धारित मापदण्ड अनुसार जी.आई.शीट एवं अन्य सामग्री न होने पर ।
2. अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी जंग लगी होने की दशा में
3. अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी दबी हुई अथवा डेंट होने की दशा में ।
4. हेण्डिल एवं लॉकिंग सिस्टम ठीक से लगा न होने की दशा में ।
5. निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्राप्त न होने की दशा में ।

11. पैकिंग

प्रदाय किये जाने वाली सामग्री की आवश्यकता अनुसार उचित पैकिंग होना आवश्यक है जिससे परिवहन एवं भण्डारण के दौरान सामग्री खराब न हो ।

12. बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करने के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

13. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा

- 13(अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 20 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है । आवश्यकतानुसार यह सीमा घटाई भी जा सकती है ।

- 13(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।
- 13(स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा
- 13(द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

14. **आदेश की प्रक्रिया**

- 14(अ) निगम द्वारा शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों/अन्य से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे । अनुमोदित दर पर प्रदाय आदेश निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय /जिला कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार जारी किए जावेंगे ।
- 14(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से सामग्री निर्धारित दर पर प्रदाय करने होंगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा ।
- 14(स) परिवहन के समय प्रदायित सामग्री का बीमा प्रदायक को कराना होगा ।
- 14(द) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी आफरकर्ता की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई आफरकर्ता द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

15. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार**

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है -

- 15(अ) सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।
- 15(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा । किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

16. **भुगतान**

16(अ) अनुदान पर प्रदाय किये जाने वाली सामग्री के संबंध में देयक प्रस्तुत किये जाने पर प्रदायक के देयक की राशि का भुगतान विक्रय की गयी मात्रा के अनुसार प्राप्त राशि के अनुपात में प्रदायक को सामान्यतः 30 दिवस किया जावेगा ।

16(ब) अनुदान राशि का भुगतान संबंधित विभाग से अनुदान प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त राशि के अनुपात में प्रदायक को किया जावेगा ।

16(स) गैर अनुदान पर प्रदाय किये जाने वाली सामग्री के संबंध में देयक प्रस्तुत किये जाने पर प्रदायक के देयक की राशि का भुगतान विक्रय की गयी मात्रा के अनुसार प्राप्त राशि के अनुपात में प्रदायक को सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

17. **दरों का युक्तियुक्तकरण**

आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को सामग्री का प्रदाय इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर किसी भी स्थिति में प्रदाय नहीं कर सकेगा । यदि यह स्थिति निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

18. **दरों में परिवर्तन**

दरों में परिवर्तन राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा टैक्स में परिवर्तन अथवा रॉ-मटेरियल की दरों में परिवर्तन होने की दशा में मान्य किया जा सकता है । परिवर्तित दरें निगम के प्रबंध संचालक द्वारा मान्य किये जाने की दशा में ही लागू की जा सकेंगी ।

19. आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा आरसीओ भली-भांति पढ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत है।
20. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी /दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।
21. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तों के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में 30 प्रतिशत की भागीदारी के निर्देश दिये जावेगें ।
22. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी ।
23. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के मैनेजर (मार्केटिंग) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
24. ऑफरकर्ता से अनुबंध निष्पादन के उपरांत अनुबंध की अवधि तक निगम ऑफरकर्ता के अधिकृत वितरक/डीलर के रूप में कार्य करेगा ।
25. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।
26. उभय पक्षों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है और कोई भी पक्षकार न्यायालय में वाद संस्थित करता है तो न्याय क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा ।

**मैनेजर (मार्केटिंग)**

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2009-10 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से अनाज कोठी (ग्रेनबीन), बिस्तर पेटी के  
प्रदाय हेतु आरसीओ बाबत सहमति पत्र

मैं .....मेसर्स .....की ओर  
से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर डाक्युमेंट में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ ।  
निगम के आरसीओ में उल्लेखित शर्तों के अनुसार अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबीन)/बिस्तर पेटी  
के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को  
मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड  
अनुसार निर्धारित दरों पर अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबीन)/बिस्तर पेटी समस्त मध्यप्रदेश में  
प्रदाय हेतु सहमत हूँ । हम आरसीओ की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का  
कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी  
प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा  
उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही  
धरोहर राशि रूपये 10,000/- एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं  
है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी  
विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

धरोहर राशि रूपये 10,000/- सुरक्षा निधि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जो  
हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अमानत राशि के तौर  
पर जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया  
गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....  
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 20.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

ऑफर के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण -

1. प्रपत्र क्रमांक 1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रुपये 20.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति ।
2. निर्माता कंपनी का जिला उद्योग केन्द्र अथवा अन्य सक्षम संस्था द्वारा जारी मेन्यूफैक्चरिंग लायसेंस की स्व प्रमाणित प्रति ।

वैट टैक्स

3. ऑफरकर्ता के आयकर नम्बर (**TIN**) का विवरण एवं आयकर का **PAN** विवरण की सत्य प्रतिलिपि
4. ऑफरकर्ता फर्म की ओर से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
5. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
6. धरोहर राशि रुपये 10,000/- शर्त क्रमांक 4(द) के अनुसार ।
7. अधिकतम विक्रय दर की मूल सूची । (एमआरपी लिस्ट)

## तकनीकी मापदण्ड

अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन) तथा बिस्तर पेटी के तकनीकी मापदण्ड

(अ) अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)

Sno	Capacity	Particular	Size	Approximate Weight	Detail	Other Detail
1	1 Quintal	Height	900MM	8.5 Kg	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With side & top Grip & Suitable rust free Locking facility
		Diameter	450MM			
		Top & Bottom Circle	470 MM			
		Circumference of Bin	1433 MM			
		Circle top Hole	225 MM			
		Diameter Top Hole Cover with suitable Grip	250 mm			
2	2 Quintal	Height	900MM	16.50 kg	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With side & top Grip & Suitable rust free Locking facility
		Diameter	640MM			
		Top & Bottom Circle	660 MM			
		Circumference of Bin	2030MM			
		Circle top Hole	230 MM			
		Diameter Top Hole Cover with suitable Grip	250 MM			
3	5 Quintal	Height	1160 MM	29.00 KG	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With side & top Grip & Suitable rust free Locking facility
		Diameter	900 MM			
		Top & Bottom Circle	1010 MM			
		Circumference of bin	2780 mm			
		Circle top Hole	450 MM			
		Diameter Top Hole Cover with suitable Grip	500 MM			
		Mud Bin Outlets with Cover	100 MM X 100 MM			
		One Center Flat Support Made up of MS	32x3 MM			
4	10 Quintal	Height	1870 MM	42 KG	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With side & top Grip & Suitable rust free Locking facility
		Diameter	1000 MM			
		Top & Bottom Circle	1020 MM			
		Circumference of Bin	3070 MM			
		Circle top Hole	450 MM			
		Diameter Top Hole Cover with suitable Grip	500 MM			
		Mud Bin Outlets with Cover	100 MM X 100 MM			
		Two Flat Support Made up of MS	32x3 MM			

(ब) बिस्तर पेटी

Sno	Size	Particular	Size	Detail	Other Detail
1	Small	Length	1220 MM (4Feet)	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With required no of central support & side Grip & Suitable rust free Locking facility two Nos Top Cover with 6m MS Rod
		Wedith	915 MM (3 Feet)		
		Internal Height	610 MM ( 2 Feet)		
2	Medium	Length	1530 MM ( 5 Feet)	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With required no of central support & side Grip & Suitable rust free Locking facility two Nos Top Cover with 6m MS Rod
		Wedith	920 MM (3 Feet)		
		Internal Height	460 MM ( 1.5 Feet)		
		Lower Angle Frame of MS Angle with 76mm legs	25X25X3mm		
3	Large	Length	1830 MM ( 6 Feet)	Made up from ISI Mark GI Sheet of 24 gauge	With required no of central support & side Grip & Suitable rust free Locking facility two Nos Top Cover with 6m MS Rod
		Wedith	914MM (3 Feet)		
		Internal Height	610 MM ( 2 Feet)		
		Lower Angle Frame of MS Angle with 760 mm legs-4 No.	25X25X3mm		

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2009-10 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से अनाज भण्डारण कोठी  
(ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी के प्रदाय हेतु वित्तीय आफर

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता .....
- दूरभाष क्रमांक ..... मोबाईल नं. ....
2. निर्माता कंपनी का नाम एवं पता .....
- दूरभाष क्रमांक ..... मोबाईल नं. ....

क्र.	सामग्री	विवरण	निगम को प्रदाय दर एफ.ओ.आर. प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित		रिमार्क
			अंकों में	शब्दों में	
1.	अनाज कोठी (ग्रेनबिन)	1 क्विंटल			
		2 क्विंटल			
		5 क्विंटल			
		10 क्विंटल			
2.	बिस्तर पेटी	समल 4 X 3 X 2 Feet			
		मिडियम 5 X 3 X 1.5 Feet			
		लार्ज 6 X 3 X 2 Feet			

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

**PRICE BREAK UP OF RATE OFFERED**

**Price Break up for Rate Submission if Supplier is Billing From Madhya Pradesh State**

S.No.	Item	Size	Purchase Price Excluding Tax <b>Basic Price</b>	Value Added Tax (VAT) on Basic Price		Tax Paid Purchase Price of M.P. Agro	Corp. Margi of Col No 4		Vat On Margin		Final selling Rate to customer Including Margin	MRP
				%	Amount		5 %	Amount	%	Amount		
1	2	3	4		5	6		7		8	9	10

**Price Breakup for Rate Submission Supplier is billing out side Madhya Pradesh State**

S.No.	Item	Model	Tax Paid Purchase Price of M.P. Agro	Entry Tax if applicable		Corp. Margin of Col No 4		Total	VAT		Final selling Rate to customer	MRP
				%	Amount	%	Amount		%	Amount		
1	2	3	4		5		6	7		8	9	

**:: अनुबंध ::**

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स ..... की ओर से श्री ..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर **अनाज भण्डारण कोठी (ग्रेनबिन)/बिस्तर पेटी** के प्रदाय हेतु दिनांक **27.05.2009** को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्य करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन सामग्रियों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक .....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

**मैनेजर (मार्केटिंग)**

गवाह :

1.

2.

**प्रदायक**

1.

2.

अनुबंध 5 का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता .....

.....

फोन नम्बर .....

फैक्स नम्बर .....

मोबाईल नं. ....

क्र.	सामग्री	विवरण	निगम को प्रदाय दर एफ.ओ.आर. प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर  
एवं सील

